

परिशिष्ट चाहूँ

प्रश्न सं. [क. 2337]

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



स्वास्थ्याप्रदेश गणपति

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

लिखानक ८]

भोपाल, बुधवार, दिनांक ५ जनवरी २०१२--पौष १४, शक १९३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक १ जनवरी २०१२

ब्र. एफ. २-१-२००८-एक-१३.—राज्य सरकार, एतद्वारा, तोकनायक लयप्रकाश नामयण (मोसा/डी.आई.आर. राजनीतिक या सामाजिक छोरों से निलूप्त व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, २००८ में दिन संशोधन करती है :—

संशोधन

१. उक्त नियमों में नियम-३(३) में निम्नानुसार रांशोधन किया जाए अर्थात् :—

“सम्मान निधि का ताख जिला मणिस्ट्रेट/गणप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के दिनांक से दिया जावेगा”।

२. उक्त नियमों में नियम-४ में निम्नानुसार संशोधन एवं प्रावधान जोड़ा जाए अर्थात् :—

४.१ “जहाँ जेल, जुलैस थाना तथा जिला मणिस्ट्रेट का निरूपि संवंधी शासकीय रिकार्ड उपलब्ध नहीं है वेचत उन्हीं प्रकरणों में आवेदक के साथ जेल में निलूप्त रहे किन्ती दो मीला/डी.आई.आर. के अधीन राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से निलूप्त व्यक्तियों के शपथ-पत्र/प्रमाणोकरण को मान्यता दी जाएंगी। शपथ-पत्र में प्रमाणीकरणकर्ता द्वारा घोषणा की जावेगी कि वे व्यक्तिगत ज्ञान एवं रस्ति के आधार पर यह प्रमाणोकरण कर रहे हैं इस प्रमाणोकरण के असत्य होने के विधानिक परिणामों से वे अवगत हैं।”

४.२ “यदि जेल में जाने या छूटने का एक रिकार्ड उपलब्ध है और जेल प्रमाणित करता है कि शेष रिकार्ड जेल में उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में कग से कग एक माह का निरोप माना जा कर तदनुरूप सम्मान निधि स्वीकृत की जा सकेगी। इन प्रकरणों में निलूप्त होने की पुष्टि करने हुए दो अन्य निलूप्त व्यक्तियों के प्रमाणोकरण की फर्त लागू नहीं होगी।”

3. उक्त नियमों में नियम 5(1) प्रावधानित सम्मान निधि की राशि में बढ़ोत्तरी करते हुए निम्नानुसार नियम 5(1) प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

“ऐसे व्यक्ति जो मीरा/डी.आई.आर. के अधीन राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से एक माह या एक माह से अधिक किन्तु छः नह तक वही अवधि के लिये निऱ्ठ रहे हों उन्हें रूपये 10,000/- प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो छः माह से अधिक वही कालान्धि के लिए निऱ्ठ रहे हों उन्हें रूपये 15,000/- प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की प्रतिमाह दी जाएगी।

4. उक्त नियमों में नियम 5(2) के याथ नवीन नियम 5(3) जोड़ा जाए अर्थात् :—

“जिन प्रकरणों में मीरा/डी.आई.आर. राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से निऱ्ठ व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है एवं उन्हे मृत्यु पूर्व सम्मान निधि रखीदूज नहीं हुई है ऐसे प्रकरणों में उनके/उनकी पति या पाल को आवेदन करने पर नियम 5(1) में वर्णित सम्मान निधि का कुल राशि का आधा ($\frac{1}{2}$) गांश पाने की प्रतीता होगी।”

उक्त नियमों में नियम 15 दे: स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

“इन नियमों के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन होने के दिनांक से दिनांक 31 मार्च 2012 तक पात्र व्यक्तियों वो आवेदन प्रस्तुत करता होगा।”

6. सम्मान निधि में बढ़ोत्तरी का लाभ अधिसूचना जारी होने के दिनांक से इन्हें हुआ सम्भाल जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार

बीष्मा घाणेकर, सचिव